न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री संजय कुमार माथुर
2. प्रकरण संख्या : 1/2026
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

लाडकवंर पत्नी शहीद भंवरसिंह निवासी भादवा तहसील किशनगढ रेनवाल।

–अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 13-04-2026
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम नांगल तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 402 रकबा 247–03 बीघा किस्म बंजड–1 व खसरा नं0 403 रकबा 236–01 बीघा किस्म बंजड–1 भू–प्रबंध खतौनी सम्वत 2015–2029 में सिवायचक दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आवंटन आदेश दिनांक 06.05.1972 के द्वारा खसरा नं0 402 में से 15 बीघा व खसरा नं0 403 में से 10 बीघा कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन श्रीमती लाडकंवर पत्नी शहीद भंवरसिंह निवासी ग्राम भादवा तहसील फुलेरा हाल तहसील किशनगढ रेनवाल को हुआ था। खसरा गिरदावरी व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.01.2026 के अनुसार आवंटन के पश्चात से सम्वत 2029 से अब तक आवंटी लाडकंवर पत्नी शहीद भंवरसिंह निवासी भादवा तसहील फुलेरा हाल तहसील किशनगढ रेनवाल (अप्रार्थी) का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में मौके पर कब्जा है। इस प्रकार अप्रार्थी ने आवंटन नियमों/शर्तों का पालन नहीं किया है। ग्राम नांगल का हाल खसरा नं0 402/26 रकबा 8.8894 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड–1 वर्तमान जमाबन्दी में सिवायचक लगानी दर्ज है। परन्तु मौके पर जल–भराव क्षेत्र व दलदली स्थिति में होने के कारण आवंटन योग्य नहीं है तथा खसरा नं0 403 का सम्पूर्ण रकबा 59.6970 हैक्टेयर नामान्तकरण संख्या 218 दिनांक 06.02.1993 के द्वारा चारागाह दर्ज हो चुकी थी तथा वर्तमान जमाबन्दी में भी चारागाह दर्ज है जो उक्त भूमि आवंटन से प्रतिबन्धित भूमि है। अतः आवंटी द्वारा आवंटन नियमों/शर्तों का पालन नहीं करने के कारण तथा उक्त भूमि वर्तमान में आवंटन योग्य नहीं होने के कारण आवंटी श्रीमती लाडकंवर पत्नी शहीद भंवरसिंह की हद तक उक्त आवंटन आदेश दिनांक 06.05.1972 को निरस्त करने आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

अति. जिला कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को तलबी नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थीया लाडकंवर पत्नी शहीद भंवर सिंह न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थीया द्वारा प्रकरण के सदंर्भ में मौखिक व लिखित निवेदन किया गया कि अप्रार्थीया को आंवटित कुल 25 बीघा भूमि खसरा नं0 402 में से 15 बीघा व खसरा नं0 403 में से 10 बीघा कुल किता 2 रकबा 25 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर विवादित भूमि यदि राजकीय खाते में दर्ज की जाती है, तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आवंटन आदेश दिनांक 06.05.1972 के द्वारा ग्राम नांगल तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नं0 402 किस्म बंजड–1 सिवायचक में से 15 बीघा व खसरा नं0 403 किस्म वर्तमान जमाबन्दी में चारागाह में से 10 बीघा कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी लाडकंवर पत्नी शहीद भंवर सिंह निवासी ग्राम भादवा तहसील फुलेरा हाल तहसील किशनगढ रेनवाल को हुआ था। प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा के प्रार्थना पत्र 14 (4) के संलग्न खसरा गिरदावरी एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.01.2026 के अनुसार आवंटन के पश्चात से सवंत 2029 से अब तक आवंटी लाडकंवर का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में मौके पर कब्जा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 402/26 व 403 में मौके पर पानी भरा हुआ बताया गया है। इससे जाहिर है कि उक्त भूमि पर जल भराव होता है। मौका रिपोर्ट के अनुसार अपार्थी का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही वर्तमान में मौके पर कब्जा है। अप्रार्थी लाडकंवर द्वारा भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अप्रार्थीया ने उक्त आवंटित भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं होने की तथा आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने के तथ्य की स्वीकृति जाहिर करते हुए अप्रार्थीया को आंवटित कुल 25 बीघा भूमि खसरा नं0 402 में से 15 बीघा व खसरा नं0 403 में से 10 बीघा कुल किता 2 रकबा 25 बीघा के आवंटन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त आवंटन को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा का प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी लाडकंवर पत्नी शहीद भंवर सिंह को आंवटित कुल 25 बीघा भूमि खसरा नं0 402 में से 15 बीघा व खसरा नं0 403 में से 10 बीघा वाके ग्राम नांगल तहसील फुलेरा का आवंटन निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पूर्वानुसार राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 13.04.2026 को सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो।

(संजय कुमार माथुर)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर